न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 91 वर्ष 2023

आवेदक–हेमलाल मॉझी
ग्राम – चरगी टोला लरबदार
थाना – पेटरवार जिला–बोकारो

क्रेता– सानिया देवी वगैरह
ग्राम –चरगी टोला लरबदार
थाना–पेटरवार जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03
29.09.2023	आदेश	

आदेश

यह वाद हेमलाल मॉझी पिता स्व0 मोहन मॉझी निवासी ग्राम चरगी टोला लरबदार थाना पेटरवार जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा	
चरगी	16	43	1272	29 डी0	14 डी0	कृषि योग्य	
		43	1290	194 डी0	12 डी0	कृषि योग्य	पहला कियारी
		43	1290	194 डी0	30 डी0	कृषि योग्य	दूसरा कियारी
		43	1290	194 डी0	55 डी0	कृषि योग्य	तीसरा कियारी

को वे अपने बीमारी के ईलाज हेतु मो0 18,50,000/– (अठारह लाख पचास हजार) रूपये में क्रेतागण 01. सानिया देवी पति मोतीलाल मॉझी पिता हेमलाल मॉझी 02. संगीता देवी पति बुधन मॉझी पिता हेमलाल मॉझी 03. अंजू कुमारी पिता हेमलाल मॉझी 04. अनिता मराण्डी पति सोहनलाल टुडू पिता हेमलाल मॉझी 05. मंजू कुमारी पिता हेमलाल मॉझी निवास ग्राम चरगी थाना पेटरवार जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1143/रा0 दिनांक 11.06.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, पेटरवार के पत्रांक 847 दिनांक 15.09.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेतागण दोनो संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं केतागण ग्राम चरगी एवं दोनो थाना–पेटरवार जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में विलम मॉझी वल्द गोपाल मॉझी के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी खतियानी रैयत के वंशज विजई मॉझी, अघनु मॉझी वगैरह के नाम से पंजी–2 के पृष्ठ सं0 179/1 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2021–2022 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि पैतृक सम्पति द्वारा हासिल है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिकेता का संबंध दादा–पोता का है। बिक्री वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिकेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज विलम मॉझी वल्द गोपाल मॉझी के नाम सर्वे खतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी विजई मॉझी, अघनु मॉझी वगैरह के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेतागण का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

01. विक्रेता– विलम मॉझी वल्द गोपाल मॉझी के नाम सर्वेखतियान की छायाप्रति, विजई मॉझी, अघनु मॉझी वगैरह के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेतागण– जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेतागण दोनों संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा बिकेता एवं केतागण दोनों एक ही, ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः हेमलाल मॉझी पिता स्व0 मोहन मॉझी निवासी ग्राम चरगी टोला लरबदार थाना पेटरवार जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा		दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
चरगी	43	1272	29 डी0	14 डी0	अकिल मॉझी वगैरह		धुनू बेदिया	रास्ता	शिव शंकर मॉझी वगैरह
	43	1290	194 डी0	12 डी0	प्रथम कियारी	अकिल मॉझी वगैरह	शिव शंकर मॉझी वगैरह	नीज बिकेता आवेदक	नीज बिकेता आवेदक
	43	1290	194 डी0	30 डी0	दूसरा कियारी	राजेश मॉझी	नीज बिकेता गैरमजरूआ	अकिल मॉझी वगैरह	नीज बिकेता आवेदक
	43	1290	194 डी0	55 डी0	तीसरा कियारी	राजेश मॉझी	शिव शंकर मॉझी वगैरह	रास्ता	अकिल मॉझी वगैरह
				कुल 1.12 (एक एकड 12 डी0) डिसमिल जमीन मात्र।					

मो0 18,50,000/– (अठारह लाख पचास हजार रूपये) या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेतागण– 01. सानिया देवी पति मोतीलाल मॉझी पिता हेमलाल मॉझी 02. संगीता देवी पति बुधन मॉझी पिता हेमलाल मॉझी 03. अंजू कुमारी पिता हेमलाल मॉझी 04. अनिता मराण्डी पति सोहनलाल टुडू पिता हेमलाल मॉझी 05. मंजू कुमारी पिता हेमलाल मॉझी निवास ग्राम चरगी थाना पेटरवार जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2024.12.04 03:34:32 -08:00
Location: 10.93.6.142